

भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०-34/2018-19

आदेश की तिथि	आदेश	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
25.05.2018	<p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर, का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर को स्मारित करें। अगली तिथि 20.7.18 को निर्धारित की जाती है। अभिलेख 20.7.18 को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;"><i>Beek</i> 25.5.18 भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।</p>	
20.07.2018	<p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर, का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर को स्मारित करें। अगली तिथि 25.8.18 को निर्धारित की जाती है। अभिलेख 25.8.18 को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;"><i>Beek</i> 20.7.18 भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।</p>	
25.08.2018	<p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के पत्रांक-865, दिनांक-28.07.2018 द्वारा जांच प्रतिवेदन दिनांक 31.07.2018 को प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक/आवेदिका श्री सेलाय पुरती, पिता/पति- स्व० महेन्द्र पुरती, जाति- हो (अ०ज०जा०), ग्राम- भालियाकुदर, थाना- चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प) प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। खतियानी जमीन मौजा- आसनतलिया, थाना- चक्रधरपुर, थाना नं०- 88, खाता नं०- 284, प्लॉट नं०- 2100, रकवा- 0.05 ए०, आवासीय भूमि क्रेता सिमोन जोंको, पिता/पति- सामियाँ जोंको, जाति- हो (अ०ज०जा०), ग्राम- मुरहातु, थाना- चक्रधरपुर, जिला- प० सिंहभूम के पास बिक्री करना चाहते हैं। आम इश्तेहार किया गया।</p> <p>जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जानेवाली खतियानी जमीन आवेदक/आवेदिका श्री सेलाय पुरती, पिता/पति- स्व० महेन्द्र पुरती, जाति- हो (अ०ज०जा०), ग्राम- भालियाकुदर, थाना- चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास बेचना चाहते हैं। आम इश्तेहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बिक्री की जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आजतक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है।</p> <p>बिक्रेता एवं क्रेता थाना- चक्रधरपुर, जिला-प० सिंहभूम के निवासी हैं। बिक्रेता एवं क्रेता जाति- हो (अ०ज०जा०), समुदाय के सदस्य हैं। आवेदक द्वारा शपथ पत्र संख्या- 12, दिनांक- 12.08.2018, समर्पित किया गया है जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि मौजा- जुगीबेड़ा खाता नं०- 60, प्लॉट नं०- 79, 80, 81, 82, 85, 87, 95 एवं 118, तथा मौजा- वार्ड नं०-08, चक्रधरपुर, खाता नं०- 150, प्लॉट नं०- 117, 118(A), 118(B), 118(C), 118(D), 118(E), 119 एवं 129, में आवेदक के हिस्से में 1.00 ए० एवं मौजा- आसनतलिया खाता नं०- 284, प्लॉट नं०- 2100 एवं 2100/2256, में आवेदक के हिस्से में 1.50 ए०, कुल रकवा- 2.50 ए०, प्रश्नगत भूमि बिक्री के पश्चात बिक्रेता को चक्रधरपुर अंचल अंतर्गत अवशेष बचता है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा आम इश्तेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप बिक्रेता श्री सेलाय पुरती, पिता/पति- स्व० महेन्द्र पुरती, जाति- हो (अ०ज०जा०), ग्राम- भालियाकुदर, थाना- चक्रधरपुर, को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त भूमि 2,52,500 (दो लाख बाबन हजार पाँच सौ) रुपये में बेचने की स्वीकृति छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(i) प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत दी जाती है।</p> <p>आदेश की प्रति पक्षकार को उपलब्ध करायें।</p> <p>लेखापित</p> <p style="text-align: right;"><i>Beek</i> 25-8-18 भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।</p>	